कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)
प्लॉट नं. 04/01/10–11, सेक्टर नं.–04, विद्याधर नगर, जयपुर
ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोननम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–निगृर/एस.9(3–3)शिकायत/2023/25104-108 दिनांक– 04 OCT 2023

कार्यालय आदेश

अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री भोपाल सिंह भाटी निवासी मकान नंबर 798, सत्य नारायण मार्ग, गांधी कॉलोनी, जैसलमेर, राजस्थान को मैसर्स मारूती विजिलेन्ट सिक्यूरिटी सर्विस के नाम से लाईसेन्स संख्या 184/2009 दिनांक 16.03.2009 जारी किया गया है। जिसकी वैधता दिनांक 15.03.2024 तक है। इस सुरक्षा एजेन्सी के विरूद्व श्री भोम सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह निवासी गांव/पोस्ट पिथला, जिला–जैसलमेर द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि (1) उक्त सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा गार्ड को ड्रेस नही दी जाती (2) प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाता (3) पुलिस सत्यापन नहीं करवाया जाता (4) सुरक्षा गार्ड को उचित पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता एवं (5) उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया जाता है। इस प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10585 दिनांक 28.04.2023 एवं पत्र क्रमांक 18444 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर को पत्र जारी किया गया। गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर ने उक्त शिकायत की जांच कर अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक राजकाज नं. 4683148 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि मैसर्स मारूती विजिलेन्ट सिक्यूरिटी सर्विस का निरीक्षण करने पर एजेन्सी शिकायत के बिन्दु संख्या (3) में दोषी पाई गई। उक्त सुरक्षा एजेन्सी के ड्यूटी पाईन्ट तनोट विन्ड वैन्चर, छत्रैल, जिला–जैसलमेर में तैनात 27 सुरक्षा गार्ड में से 05 गार्ड पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होना सही पाया गया तथा 07 सुरक्षा गार्ड बिना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र के पाये गये।

गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर द्वारा भिजवाई गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह भाटी मैसर्स मारूती विजिलेन्ट सिक्यूरिटी सर्विस द्वारा 05 सुरक्षा गार्ड विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर एवं 07 सुरक्षा गार्ड को बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाये ड्यूटी पाईन्ट तनोट विन्ड वैन्चर, छत्रैल, जिला–जैसलमेर में तैनात कर रखे है। अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह भाटी द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के नियम 10 के उपनियम 01(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। **प्रसारा प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर मैसर्स मारूती विजिलेन्ट सिक्यूरिटी सर्विस के लाईसेन्स संख्या 184/2009 दिनांक 16.03.2009 वैधता दिनांक 15.03.2024 को प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के नियम 13 के उपनियम 01(ग) के तहत तुरन्त प्रभाव से "निलम्बित" किया जाता है।** अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह भाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त लाईसेन्स के निलम्बन अवधि में इस लाईसेन्स से सुरक्षा का कारोबार नहीं किया जावें।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदशक एवं महासमादेष्टा)
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः प.4(6) गृह–7/2019 दिनांक 15.06.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रबंधक, तनोट विन्ड वैन्चर, छत्रैल, जिला–जैसलमेर, राजस्थान।
3. श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री भोपाल सिंह भाटी निवासी मकान नंबर 798, सत्य नारायण मार्ग, गांधी कॉलोनी, जैसलमेर, राजस्थान–345001
4. श्री भोम सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह निवासी गांव/पोस्ट पिथला, जिला–जैसलमेर।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, कार्यालय हाजा को विभागिय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

Signature valid
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.04 16:38:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4827585